न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 199/2017
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राजेन्द्र कुमार } पिरासन स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज गांव
2. विनोद कुमार जाति जाट दौलतपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर

.......**वादीगण**

बनाम

1. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. विक्रमजीत पुत्र स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....**प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता (वादीगण)
श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता (प्रति.–1 व 2)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–3)

– निर्णय – **दिनांक :–08.05.2018**

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22,23,29,30 की कुल 8.991 हैक्टयर कृषि भूमि वादीगण के पड़दादाजी मूलाराम के देहान्त के पश्चात वादीगण की पड़दादीजी खेमीदेवी बेवा मूलाराम एवं वादीगण के दादाजी जालूराम पुत्र मूलाराम के नाम से ब:हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा वादीगण की पड़दादाजी खेमीदेवी के देहान्त के पश्चात विरास्तन इन्तकाल संख्या 206 दिनांक 14/10/2004 द्वारा उक्त वर्णित 8.991 हैक्टयर कृषि भूमि वादीगण के दादाजी जालूराम पुत्र मूलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। वादीगण के दादाजी जालूराम पुत्र मूलाराम द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए विरास्तन सम्पति के बंटवारा अनुसार इन्तकाल संख्या 215 दिनांक 02/08/2005 द्वारा वादीगण के पिताजी पृथ्वीराज के स्वर्गवास होने के कारण वादीगण की माताजी/ प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा देवी पत्नी स्व0 श्री पृथ्वीराज को मुरब्बा नम्बर 22 की 1.468 है., मुरब्बा नम्बर 23 की 0.986 है., मुरब्बा नम्बर 29 की 0.519 है., मुरब्बा नम्बर 30 की 0.158 है/ कुल 3.131 हैक्टयर नहरी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

/बारानी मय खाला कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा वादीगण के चाचाजी श्योनारायण पुत्र श्री जालूराम को 3.129 हैक्टयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा शेष 2.731 हैक्टयर कृषि भूमि वादीगण के दादाजी जालूराम पुत्र मूलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में रही तथा वादीगण के दादाजी जालूराम पुत्र मूलाराम के स्वर्गवास होने के बाद इनके नाम दर्ज 2.731 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्राप्त हुई तथा शेष 1/2 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण के चाचाजी श्योनारायण को प्राप्त हुई। चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 59/59 के मुरब्बा नम्बर 22 ,23, 29, 30 की कुल 3.131 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि, वादीगण की माताजी, प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा देवी पत्नी स्व0 श्री पृथ्वीराज के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी एवं पड़दादाजी से वादीगण की माताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के तीन पुत्र (विक्रमजीत {प्रतिवादी संख्या 2}, राजेन्द्र कुमार एवं विनोद कुमार {वादीगण}) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.131 हैक्टयर कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

<u>बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता</u>	<u>रकबा का विवरण</u>
राजेन्द्र कुमार, विनोद कुमार पुत्रगण पृथ्वीराज कौम जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) बःहिस्सा बराबर बराबर	चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 59/59 के मुरब्बा नम्बर 22,23,29,30 की कुल 3.131 हैक्टयर कृषि भूमि में से 2.732 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला
श्रीमती रूकमा देवी पत्नी श्री पृथ्वीराज कौम जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 59/59 के मुरब्बा नम्बर 22,23,29,30 की कुल 3.131 हैक्टयर कृषि भूमि में से 0.399 हैक्टयर नहरी /बारानी मय खाला

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 विक्रम को पारिवारिक बंटवारा अनुसार चक 4 क्यू के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 4/2 (0.127 है.), 5, 7, 14, 17, (प्रत्येक में 0.253 है.), 24 (0.227 है.) कुल 1.366 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा वादी संख्या 1 व 2 को उक्त वर्णित कृषि भूमि प्राप्त हुई। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही वादी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री करने बाबत निवेदन किया है।

(क) प्रतिवादी संख्या 1 रूकमादेवी पत्नी स्व. पृथ्वीराज के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 59/59 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 29, 30 की कुल 3.131 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार एवं वादी संख्या 2 विनोद कुमार की 2.732 हैक्टयर कृषि भूमि ब:हिस्सा बराबर बराबर घोषित किया जावे ।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 31.10.2017 को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

राजीनामा पेश किया, जिसे तस्दीक किया गया। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के कैम्प 11 एल एन पी में स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितों को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जावे।

उभ्यपक्षों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

अतः पक्षकारान, राजीनामा के अनुसार वर्णित कृषि भूमि के लिये खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

।। आदेश ।।

अतः पक्षकारान के मध्य निष्पादित राजीनामा दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 रुकमा देवी पत्नी स्व. श्री पृथ्वीराज के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069–2071 के खाता संख्या 59/59 के मुरबा नम्बर 22, 23, 29, 30 की कुल 3.131 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार एवं वादी संख्या 2 विनोद कुमार की 2.732 हैक्टर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के शिविर 11 एल एन पी में मजमेआम में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.05.2018 को जारी किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर